

## न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/42/2020

गजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश चंद शर्मा ग्राम पोस्ट गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

### बनाम

तहसीलदार पहाडी ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

### आदेश

दिनांक 02.06.2020

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि गजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश चंद शर्मा ग्राम पोस्ट गोपालगढ तहसील पहाडी जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.2020 तहसीलदार पहाडी से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार पहाडी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/254 दिनांक 17.03.2020 के द्वारा तहसीलदार पहाडी से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई । तहसीलदार पहाडी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं तहसीलदार पहाडी ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त द्वारा तहसीलदार पहाडी से उक्त सूचनाएं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार पहाडी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार पहाडी से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पहाडी को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार पहाडी को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलान्त को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

